



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052025-263197
CG-DL-E-19052025-263197

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2140]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 2025/वैशाख 25, 1947

No. 2140]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 15, 2025/VAISAKHA 25, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2025

का.आ. 2190(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 535(अ) तारीख 30 जनवरी, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - 2, खण्ड - 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0.000 कि.मी. से 57.046 कि.मी. (रेनिंगटा से नायुडुपेटा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छँड़ा लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन "04 फरवरी 2025" तारीख को "दी हिन्दू" और "आंध्र प्रभा" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अनुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन परउक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0.000 कि.मी. से 57.046 कि.मी. तक (रेनिगुंटा से नायुडुपेटा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: तिरुपति		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रेनिगुंटा					
गांव का नाम: र. मल्लावरम					
1	152/7बी	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.0060705	वी.अन्नामुलू नाइडू (पट्टाधार), श्यामलम्मा (एंजॉयर) 152/7B
2	177/6ए2	निजी (पट्टा)	वेट	0.026306	येलुगोटी वेंकटा हरिनाथ एंस/ओ व्राइ वेंकटस्वामी 177/6A2
3	177/7ए2	निजी (पट्टा)	वेट	0.004047	येलुगोटी वेंकटा हरिनाथ एंस/ओ व्राइ वेंकटस्वामी 177/7A2
4	177/8ए2	निजी (पट्टा)	वेट	0.0060705	येलुगोटी वेंकटा हरिनाथ एंस/ओ व्राइ.वेंकटस्वामी 177/8A2
5	177/9ए1	निजी (पट्टा)	वेट	0.016188	ए.वेंकटासुब्बा रेड्डी एंस/ओ बाली रेड्डी 177/9A1

6	177/9ए1	निजी (पट्टा)	वेट	0.008094	श्री ईस्वर एजुकेशनल सुरल डेवलपमेंट सोसायटी, कडपा 177/9A1
7	178/16	सरकारी (गवर्नमेंट)	विलेज साइट	0.016188	हरिजनवाडा ग्रामकंतम 178/16
8	178/18ए2	निजी (पट्टा)	वेट	0.008094	येलुगोटी वेंकटा हरिनाथ एस/ओ वाइ.वेंकटस्वामी 178/18A2

तालुक का नाम: श्रीकालाहस्ती

गांव का नाम: कपुगुणेरी

9	82/3ए2	निजी (पट्टा)	वेट	0.016188	बर्णी सुनिथा रेड्डी एस/ओ बी.सुदर्शन रेड्डी 82/3A2
10	82/4ए1बी	निजी (पट्टा)	वेट	0.004047	बर्णी सुनिथा रेड्डी डबल्यू/ओ बी.सुदर्शन रेड्डी 82/4A1B
11	83/15बी	निजी (पट्टा)	वेट	0.004047	एन्.अम्मानम्मा डबल्यू/ओ प्रभाकर रेड्डी 83/15B

गांव का नाम: पनगल्लू

12	74/19बी1	निजी (पट्टा)	वेट	0.00506	1) पेठारी धन्य भार्गवी (एक्सटेंट 20.23 एस्क्यू.एम्टीआरएस) 2) पेठारी चंद्र सेखर रेड्डी (एक्सटेंट 30.37 एस्क्यू.एम्टीआरएस) 74/19B1
13	74/21बी1	निजी (पट्टा)	वेट	0.012141	पेठारी धन्य भार्गवी 74/21B1

गांव का नाम: श्रीकालहस्ती

14	14/8	सरकारी (गवर्नमेंट)	विलेज साइट	0.00603	विलेज साइट - पी.सुरेश एस/ओ पी.राधाया (एक्सटेंट:
----	------	--------------------	------------	---------	---

					30.15 एस्क्यू.एम्टीआरएस) 2. एस.शांथा कुमारी डबल्यू/ओ मुरली (एक्सटेंट 30.15 एस्क्यू.एम्टीआरएस) 14/8
15	38/5बी	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.0020235	पी.वेंकटा रामनैया एस/ओ चिन्नय्या 38/5B

तालुक का नाम: पेल्लाकुरु

गांव का नाम: चिल्लाकुरु

16	254/2	सरकारी (गवर्नर्मेंट)	कैटल ग्रेजिंग ग्राउंड - हाउस साइट	0.004047	थोटा मल्लिका डबल्यू/ओ प्रसाद 254/2
17	254/4	सरकारी (गवर्नर्मेंट)	कैटल ग्रेजिंग ग्राउंड - हाउस साइट	0.008094	थोटा मल्लिका डबल्यू/ओ प्रसाद 254/4

गांव का नाम: पन्नेपल्ले

18	100/5बी1	निजी (पट्टा)	वेट	0.016188	एलुपुरु हैमावती डबल्यू/ओ हरी बाबू 100/5B1
19	96/9ए1ए	निजी (पट्टा)	वेट	0.008094	एलुपुरु महेश एस/ओ हरी बाबू 96/9A1A

गांव का नाम: थलवाईपाडु

20	80/16ए	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.016188	बैना परमदामी रेडी एस/ओ पिच्ची रेडी 80/16A
21	80/17ए	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.004047	समुद्राला रमेश बाबू एस/ओ पेरैया शेट्टी 80/17A
22	80/2ए2	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.008094	नेल्लुरुपल्ली रामामूर्ति एस/ओ दामोदरम 80/2A2

23	80/3ए2	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.012141	नेल्लुरुपल्ली रामामूर्ति एस/ओ दामोदरम 80/3A2
24	80/3बी2	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.052611	नेल्लुरुपल्ली रमेश एस/ओ सुब्रतम 80/3B2
Total				0.2700985	

[फा. सं. NHAI/PIU-TPT/3(a)/P-IV/2022/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2025

S.O. 2190(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways S.O.535(E) dated 30th January 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 71 in the stretch of land from Km 0.000 to Km 57.046 (Renigunta to Naidupeta Section) in the district of Tirupati in the state of ANDHRA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “THE HINDU” and “ANDHRA PRABHA” both dated 04th February 2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 57.046 (Renigunta -Naidupeta Section) of the National Highway No. 71 in the District of Tirupati in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: Tirupati		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Renigunta					
Village: R.Mallavaram					
1	152/7B	Private (Patta)	dry	0.0060705	V.Annamulu Naidu (Pattadhar), Syamalamma (Enjoyer) 152/7B
2	177/6A2	Private (Patta)	wet	0.026306	Yelugoti Venkata Harinath S/o Y Venkataswamy 177/6A2
3	177/7A2	Private (Patta)	wet	0.004047	Yelugoti Venkata Harinath S/o Y Venkataswamy 177/7A2
4	177/8A2	Private (Patta)	wet	0.0060705	Yelugoti Venkata Harinath S/o Y.Venkataswamy 177/8A2
5	177/9A1	Private (Patta)	wet	0.016188	A.Venkatasubba Reddy S/o Bali Reddy 177/9A1
6	177/9A1	Private (Patta)	wet	0.008094	Sri Eswar Educational Rural Development Society, Kadapa 177/9A1
7	178/16	Government	village site	0.016188	Harijanawada Gramakantam 178/16
8	178/18A2	Private (Patta)	wet	0.008094	Yelugoti Venkata Harinath S/o Y.Venkataswamy 178/18A2
Taluk: Srikalahasti					
Village: Kapugunneri					
9	82/3A2	Private (Patta)	wet	0.016188	Barri Sunitha Reddy S/o B.Sudharshan Reddy 82/3A2
10	82/4A1B	Private (Patta)	wet	0.004047	Barri Sunitha Reddy W/o B.Sudharshan Reddy 82/4A1B
11	83/15B	Private (Patta)	wet	0.004047	N.Ammanamma W/o

					Prabhakar Reddy 83/15B
Village: Panagallu					
12	74/19B1	Private (Patta)	wet	0.00506	1) Pethari Dhanya Bhargavi (extent 20.23 Sq.mtrs) 2) Pethari Chandra Sekhar Reddy (extent 30.37 Sq.mtrs) 74/19B1
13	74/21B1	Private (Patta)	wet	0.012141	Pethari Dhanya Bhargavi 74/21B1
Village: Srikalahasti					
14	14/8	Government	village site	0.00603	Village Site - P.Suresh S/o P.Radhaiah (extent: 30.15 Sq.mtrs) 2. S.Shantha Kumari W/o Murali (extent 30.15 Sq.mtrs) 14/8
15	38/5B	Private (Patta)	dry	0.0020235	P.Venkata Ramanaiah S/o Chinnaiah 38/5B
Taluk: Pellakur					
Village: Chillakuru					
16	254/2	Government	Cattle Grazing Ground - House Site	0.004047	Thota Mallika W/o Prasad 254/2
17	254/4	Government	Cattle Grazing Ground - House Site	0.008094	Thota Mallika W/o Prasad 254/4
Village: Pennepalle					
18	100/5B1	Private (Patta)	wet	0.016188	Elupuru Hymavathi W/o Hari Babu 100/5B1
19	96/9A1A	Private (Patta)	wet	0.008094	Elupuru Mahesh S/o Hari Babu 96/9A1A
Village: Thalvayi Padu					
20	80/16A	Private (Patta)	dry	0.016188	Baina Paramdami Reddy S/o Pichi Reddy 80/16A
21	80/17A	Private (Patta)	dry	0.004047	Samudrala Ramesh Babu S/o Peraiah Shetty 80/17A
22	80/2A2	Private (Patta)	dry	0.008094	Nellurupalli Ramamurthy S/o Damodaram 80/2A2
23	80/3A2	Private (Patta)	dry	0.012141	Nellurupalli Ramamurthy S/o Damodaram

					80/3A2
24	80/3B2	Private (Patta)	dry	0.052611	Nellurupalli Ramesh S/o Subbarathnam 80/3B2
Total				0.2700985	

[F. No. NHAI/PIU-TPT/3(a)/P-IV/2022/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director